df"k mit e.Mh lfefr gehjiij] ftyk gehjiij ds y[kkvks dk vds{k.k ,o fujh{k.k ifronuA

vof/k 4@09 ls 3@10

Hkkx&,d

1 xr vds{k.k ifronu %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

¼d½ vds{k.k ifronu vof/k 4@2004 ls 3@2006

1	पैरा 10(1)	निर्णीत	
2	पैरा 16	अंषतः निर्णीत	(क्रम संख्या 5,6 व 7 की वसूली शेष है)

¼[k½ vds{k.k ifronu vof/k 4@2007 ls 3@2009

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क की ₹39,457/–ड्राफ्ट संख्या 336960, दिनांक 26.05.09 के द्वारा भेज दी गई है)
2	पैरा 5	निर्णीत	(संख्या के कार्यालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
3	पैरा 6(क)	निर्णीत	(₹60/–की वसूली रसीद संख्या 1279/01, दिनांक 16.12.09 के द्वारा कर ली गई)
4	पैरा 6(ख)	निर्णीत	(₹19/–की वसूली रसीद संख्या 1279/01, दिनांक 16.12.09 के द्वारा कर ली गई)
5	पैरा 6(ग)	निर्णीत	(₹150/–की वसूली रसीद संख्या 1279/03, दिनांक 16.12.09 के द्वारा कर ली गई)
6	पैरा 6(घ)	निर्णीत	(₹834/–की वसूली रसीद संख्या 1279/01, दिनांक 16.12.09 के द्वारा कर ली गई)
7	पैरा 6(ङ)	निर्णीत	(₹1440/–की वसूली रसीद संख्या 1279/02, दिनांक 16.12.09 के द्वारा कर ली गई)
8	पैरा 6(च)	निर्णीत	(₹480/–की वसूली रसीद संख्या 1279/04, दिनांक 16.12.09 के द्वारा कर ली गई)

9	पैरा 6(छ)	अंषतः निर्णीत	(श्री विजय कुमार, मण्डी प्रयवेक्षक श्री ज्ञान चन्द, कनिष्ठ सहायक व श्री राज कुमार, चपडासी की सेवा पंजिकाएं नहीं दिखाई गई)
10	पैरा 7	निर्णीत	निम्नलिखित लाइसैंसधारकों से मण्डी शुल्क की प्राप्ति का विवरण इस प्रकार से है :–

Ø0 l0	Qel dk uke	vof/k	jkf'k	jlhn l0 o fnukd
1	मै0 विधि चन्द शर्मा डिपो धारक हमीरपुर	28.02.09 से 31.03.09	3702 / –	1251 / 08 दिनांक 03.07.09
2	मै0 बंसल टिम्बर ट्रेडरज, दोसडका हमीरपुर	17.02.09 से 31.03.09	11380 / –	1251 / 23 दिनांक 10.07.09
3	मैं0 ज्ञान चन्द सन्तोष कुमार, गलोड	30.11.08 से 31.03.09	10086 / –	1245 / 07 दिनांक 26.05.09
4	मैं0 मदन ट्रेडिंग कं0 डुग्गा हमीरपुर	28.02.09 से 31.03.09	10684 / –	1207 / 49 दिनांक 23.05.09
5	मैं0 वशिष्ठ ट्रेडिंग कं0 चौकी	31.01.09 से 31.03.09	11115 / –	1228 / 97 दिनांक 14.05.09
6	मैं0 भुवनेश कुमार गुप्ता एंड सन्ज सुजानपुर	30.09.08 से 31.03.09	11854 / –	1207 / 54 दिनांक 25.05.09

11	पैरा 8	निर्णीत	(समिति कार्यालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k %&

कृषि उपज मण्डी समिति हमीरपुर, जिला हमीरपुर के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण अवधि 4/2009 से 3/2010 तक श्री अजीत सिंह अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 09.02.11 से 11.03.2011 तक हमीरपुर में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित हैं। उपरोक्त अवधि के अंकेक्षण हेतु मास 10/2009 व 3/2010 के लेखाओं की विस्तृत जाँच की गई।

"The Audit Report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the controlling officer of Market committee. Local Audit Department disclaims any responsibility for any misinformation or non-submission of information on the part of auditee. Responsibility of audit is confined to the months selected for the detail check".

3 vads{k.k 'kqYd %&

अवधि 4/2009 से 3/2010 तक के अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹49,472/–किया गया उपरोक्त राशि को सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी, कृषि उपज मण्डी समिति हमीरपुर से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 97, दिनांक 11.03.2011 के द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ''निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश षिमला–9 के नाम भेजने का अनुरोध किया गया है।

4 foÙkh; fLFkfr %&

अंकेक्षण अवधि 4/2009 से 3/10 तक के दौरान संस्था की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी

दिनांक 01.04.2009 को अथ शेष	13406250.11
अंकेक्षण अवधि में प्राप्ति	7027174.00
कुल राशि	20433424.11
वर्ष में किया गया भुगतान	9894486.00
31.03.2010 को अन्तिम शेष	10538938.11
अन्तिम शेष का विवरण	
(1) बचत खातों में जमा राशि (परिशिष्ट (क)	984105.11
(2) सावधि जमा में निवेषित राशि (परिशिष्ट (ख)	9554833.00
;ksx	10538938-11

5 मास 10/2009, वाऊचर संख्या 102 के द्वारा श्री विजय कुमार, मण्डी पर्यवेक्षक को सेवा निवृति पर उनके खाते में जमा अर्जित अवकाश के नकदीकरण के रूप में जमा अर्जित अवकाश के नकदीकरण के रूप में

₹323220/—का भुगतान किया गया लेकिन उपरोक्त कर्मचारी की सेवा पंजिका अंकेखण में प्रस्तुत नहीं की गई जिस के अभाव में उनके सेवा निवृति पर दिए गए वित्तीय लाभों की सत्यापना नहीं की गई। अतः सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पंजिका को अगले अंकेक्षण पर आवष्यक जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाए।

6 मास 3/2010 में वाऊचर संख्याः 191 के द्वारा श्री राज कुमार चपडासी/चौकीदार को उन के पिता की बीमारी से सम्बन्धित करवाए गए चिकित्सा परीक्षणों के भुगतान का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्नलिखित परीक्षणों के प्रभारों का भुगतान सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक किया गया है जिसका विवरण इस प्रकार से है :—

Øe l[;k	ijh{k.k dk uke	lj xxk jke efMdy fd;k lnley] ft0 gehjiqj }kjk yh xbZ jkf'k	ljdkj }kjk fu/kkZfjr nj
1	एच0बी0	क्रम संख्या 1 से 5 तक हेतु लिए गए प्रभार	5
2	युरिन टैस्ट (रूटिन)		10
3	ब्लड शुगर		15
4	ब्लड युरिया	175/—	25
5	CRC		5
6	X-Ray (plain)	80	15
	;ksx	255	75

vf/kd jkf'k dk Hkqxrku ₹255 & ₹75 ¾ ₹180@&

उपरोक्त विवरणानुसार ₹180/—के अधिक भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करके मण्डी समिति खातों में जमा करवाकर अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

7 मास 3/10 में वाऊचर संख्याः 199 के द्वारा मैं0 जैन ट्रेडरज, ज्वालाजी, रोड़ नादौन को ₹2427/—का भुगतान निम्नलिखित सामान खरीदने हेतु किया गया। खरीदे गए सामान का विवरण इस प्रकार से है :—

fcy l[;k fnukd	[kjhnh xbZ lkexh	en	nj	jkf'k
1230 02.03.10	जी0आई0पाईप ½'' (जिन्दल)	2	447	894/—
1244 11.03.10	Gailmed ½''	1	200	200/—
1244	Piller Cock	1	305	305/—

11.03.10				
1244 11.03.10	Wall Cock	1	190	190/–
1256 15.03.10	2 Union	–	–	
	5 Elbow	–	–	
	2 Tee	–	–	838/–
	2 Socket	–	–	
	8 Nipple	–	–	
	and other Material			
			;kx	2427@&

उपरोक्त सामान से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि इस सामान को कहां और कितनी मात्रा में प्रयोग किया गया का कोई हवाला स्टॉक रजिस्टर में नहीं दिया गया था जिस के अभाव में खरीदे गए सामान की उपयोगिता सत्यापित नहीं की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में फिट्टर की रिपोर्ट सहित यह प्रमाणित करवाया जाए कि इस सामान को कहां और कितनी मात्रा में उपयोग में लाया गया। पुरानी फिटिंग के खराव होने पर इस सामान को उपयोग करने की दषा में बदले गए पुराने सामान जो प्रयोग योग्य नहीं था, के भण्डार इन्द्राज अप्रयोग योग्य स्टॉक रजिस्टर में कर के अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

8 ₹1044/–का भुगतान श्री अष्वनी कुमार (चालक) टैक्सी नम्बर HP-01.H-2708 को समिति सचिव द्वारा हमीरपुर से ऊना व वापसी हेतु यात्रा करने के सन्दर्भ में किया गया। चूंकि कृषि उपज मण्डी समिति ऊना का अतिरिक्त प्रभार सचिव मण्डी समिति हमीरपुर के पास था। अतः 174 कि0मी0 ₹6/–प्रति किलोमीटर की दर से ₹1044/–का भुगतान कृषि उपज मण्डी समिति हमीरपुर द्वारा किया जाना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता। नियमों के दृष्टिगत इस भुगतान का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इस राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

9 वाऊचर संख्याः 202 के द्वारा ₹5000/–का भुगतान दैनिक भास्कर में दिनांक 20.02.2010 को विज्ञापन देने के सन्दर्भ में किया गया। फर्म द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल में विज्ञापन के आकार 7 x 4 इंच के लिए फलैट रेट पर ₹5000/– की मांग की गई थी जबकि समाचार पत्र में दिए गए विज्ञापन का वास्तविक आकार 6.5” x 4” था। अतः उपरोक्त समाचार पत्र के प्रकाषन कार्यालय से पत्राचार करके विज्ञापन के वास्तविक आकार से अधिक आकार हेतु बिल प्रस्तुत करके अधिक राशि वसूलने बारे स्पष्टीकरण मांगा जाए तथा मण्डी समिति कार्यालय द्वारा उपरोक्त के सन्दर्भ में अधिक भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹179/–प्रति वर्ग इंच के हिसाब से 2 वर्ग इंच हेतु ₹358/–की वसूली समाचार पत्र के प्रकाषक या दोषी से करके मण्डी समिति खाते में जमा करवा कर अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

10 वाऊचर संख्याः 193 के द्वारा श्री प्यारे लाल शर्मा, अध्यक्ष कृषि उपज मण्डी समिति हमीरपुर को उनके यात्रा भत्ता दावे के रूप में ₹3522/—का भुगतान किया गया। श्री प्यारे लाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत वास्तविक प्रवास कार्यक्रम जिसकी छाया प्रति परिशिष्ट ''ग'' में दी गई है का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त प्रवास कार्यक्रम प्रबन्ध निदेषक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, षिमला द्वारा अनुमोदित था लेकिन प्रवास कार्यक्रम में दिनांक 30.09.2009 व 24.10.2009 को दर्षायी गई यात्राओं के अलावा शेष अन्य यात्राऐं मण्डी समिति गतिविधियों से सम्बन्धित न हो कर अन्य प्रयोजनों के सन्दर्भ में की गई थी। अतः अनुपालना हेतु परामर्ष दिया जाता है कि भविष्य में केवल कृषि उपज मण्डी समिति की गतिविधियों से सम्बन्धित की गई यात्राओं को ही भुगतान हेतु स्वीकार किया जाए ताकि इस सन्दर्भ में बनाए गए नियमों का सही प्रकार पालन किया जा सके।

11 वर्ष 2009—10 में कृषि उपज मण्डी समिति हमीरपुर द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के विभिन्न लाईसैंस धारकों से प्राप्त मण्डी शुल्क से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित फर्मों से उनके सामने दर्षायी गई अवधि के लिए न तो मण्डी शुल्क प्राप्त किया गया है और न ही इस अवधि में उनके द्वारा किए गए व्यवसाय से सम्बन्धित एम—फार्म मण्डी समिति द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाए गए।

Øe l[;k	Qe dk uke	vof/k ftl dk fy, e.Mh 'kqYd izkIr ugha fd;k x;k
1	मै0 श्याम कुमार एण्ड ब्रदर्ज भोटा, जिला हमीरपुर	01.04.2008 से 31.03.2010
2	मै0 रूप चन्द एण्ड सन्ज़ कृष्ण नगर हमीरपुर	16.07.2009 से 31.03.2010
3	मैं0 अंबिका फर्नीचर ग्रामोद्योग, गांव ब्याड़, जिला हमीरपुर	01.07.2009 से 31.03.2010
4	मैं0 भोला फ्रूट कम्पनी नादौन, जिला हमीरपुर	16.03.2009 से 31.03.2010
5	मैं0 सागर फ्रूट कम्पनी नादौन, जिला हमीरपुर	01.04.2009 से 28.05.2009
6	मै0 बलदेव ऐैग स्टोर लदरौर, जिला हमीरपुर	21.12.2009 से 31.03.2010
7	मैं0 मनकोटिया टिम्बर बकारटी, जिला हमीरपुर	01.12.2009 से 31.03.2010
8	मै0 ज्ञान चन्द सन्तोष कुमार, गलोड़, जिला हमीरपुर	01.02.2010 से 31.03.2010
9	मैं0 गुरूमाता इन्डस्ट्रीज हमीरपुर	01.01.2010 से 31.03.2010
10	मैं0 कुलदीप कुमार विजय कुमार नादौन, जिला हमीरपुर	01.02.2010 से 31.03.2010
11	मै0 देव फ्रूट प्रोडक्ट पट्टा, जिला हमीरपुर	01.01.2010 से 31.03.2010
12	मैं0 अम्बे चरण ट्रेडिंग कम्पनी लदरौर, जिला हमीरपुर	01.07.2009 से 31.03.2010

अतः उपरोक्त अवधि में इन फर्मों द्वारा किए गए व्यवसाय से सम्बन्धित एम—फॉर्म लेकर उनके द्वारा देय मण्डी शुल्क प्राप्त किया जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

12 कृषि उपज मण्डी समिति हमीरपुर के स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों की जाँच करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 01.04.2009 से 31.03.2010 के दौरान स्टोर/स्टॉक मदों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है। जबकि नियमानुसार प्रत्येक वर्ष स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना आवष्यक होता है। अतः आपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

13 y/k vkifr foojf.kdk %& इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

14 fu"d"k %& लेखाओं के रख–रखाव में और सूधार की आवष्यकता है

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः –फिन(एल0ए0)एच(2)15(XIL)132/89–खण्ड–4, दिनांक, षिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

ithdr (1) सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी, कृषि उपज मण्डी समिति हमीरपुर, जिला हमीरपुर को इस आष्य के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर शीघ्र ''निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश षिमला–171009'' को भेजें।

(2) सचिव (कृषि) हिमाचल प्रदेश सरकार षिमला–171002.

(3) प्रबन्ध निदेषक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, विपणन भवन खलीनी, षिमला–171002.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला–171009.

¼vuqi dqekj ?kk:½